



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-15092026-276219
CG-MH-E-15092026-276219

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4811]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 9, 2026/भाद्र 18, 1948

No. 4811]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 9, 2026/BHADRA 18, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 8 सितम्बर 2026

रेलवे अधिनियम 1989 (24 of 1989) की धारा 7A के तहत,

का.आ. 5001(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी, "नागपूर मंडल के नागपूर - इटारसी और नागपूर बल्लारशाह अनुभाग के बीच लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 39बी रेलवे किमी 862/07-08 के बदले आरओबी और आरयूबी (7 संख्या) का प्रस्तावना निर्माण" की विशेष रेल परियोजना के भूमि अधिग्रहण करने हेतु महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपूर जिला में निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्र. सं.	सक्षम प्राधिकारी भूसंपादन	तालुका	जिला	गांव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चंद्रपूर	चंद्रपूर	चंद्रपूर	ताडाळी और उमरीलालमन

[फ़ा. सं. G197/NGP/RSP/LC 39B/Chandrapur Taluka/7A]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(CENTRAL RAILWAY)

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th September, 2026

Under clause 7A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989)

S.O. 5001(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column of the table below as “**Competent Authority**” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the special railway project “**Proposed construction of ROB & RUB (7nos.) in lieu of Level Crossing Gate nos. 39B Railway Km 862/07-08 Between Nagpur-Itarsi & Nagpur- Ballarshah section of Nagpur Division**” in the State of Maharashtra, District-Chandrapur relating to Taluka mentioned in column of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Projects.

TABLE

Sr. No.	Competent Authority	Taluka	District	Village
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sub-Divisional Officer and Land Acquisition Officer, Chandrapur	Chandrapur	Chandrapur	Tadali & Umrilalman

[F. No. G197/NGP/RSP/LC 39B/Chandrapur Taluka/7A]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)